

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता (विषय - अर्थशास्त्र) में चयनित होने पर निम्नांकित व्याख्याता-स्कूल शिक्षा (अर्थशास्त्र) को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता-स्कूल शिक्षा (अर्थशास्त्र) मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	नितेश, राउमावि, ठिमोली, फतेहपुर, सीकर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
2	मनीष सिंह चौहान, राउमावि, झालरापाटन, झालावाड़	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
3	गुस्पीत सिंह, राउमावि, बाड़मेर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
4	प्रदीप कुमार, राउमावि, मल्लाना, राजगढ़, अलवर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
5	शीश राम, राउमावि, शेरपुरा, भादरा, हनुमानगढ़	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
6	गजेन्द्र सिंह मीणा, राउमावि, वरदा, डूंगरपुर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
7	सीमा चौधरी, राउमावि, गुडाबालोतान, आहोर, जालौर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017
8	आशीष टाक, राउमावि, सरनू, बाड़मेर	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक : एफ1(23-02)RPSC / Appt/ HRD/ 2017 / 3597, दिनांक : 05 दिसम्बर, 2017

संबंधित संस्थाप्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 11.12.2017


क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/15-16

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
6. संबंधित मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. संबंधित व्याख्याता।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर